

उर्वरक शाखा

उर्वरक विक्रय एवं विनिर्माण हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची

राज्य के निर्माताओं के लिए:- (समस्त प्रकार के उर्वरकों हेतु विक्रय अनुमति)

1. आवेदन प्रपत्र "क" 1 (दो प्रतियों में)
2. भारत सरकार/उद्योग विभाग की उर्वरक विनिर्माण की अनुमति पत्र।
3. राज्य प्रदूषण मण्डल का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. गुण नियंत्रण हेतु एफसीओ, 1985 के खण्ड-24 के अंतर्गत नोडल अधिकारी को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए मय पहचान पत्र की प्रति।
5. नोडल अधिकारी की सहमति शपथ पत्र पर मय पहचान पत्र की प्रति।
6. निदेशकों की सूची/मीमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स।
7. प्रयोगशाला/गोदामों का नक्शा।
8. प्रयोगशाला उपकरणों की सूची। (एफसीओ 1985 खण्ड 21 ए के अन्तर्गत)
9. अनुज्ञा पत्र फीस 2250/चालान की प्रति।
10. उत्पादन क्षमता।
11. प्रयोगशाला निरीक्षण की रिपोर्ट विभागीय अधिकारी की।

राज्य से बाहर के निर्माताओं हेतु विक्रय अनुमति:-

1. आवेदन प्रपत्र "क" 1 (2 प्रतियों में)
2. संबंधित राज्य द्वारा जारी अनुज्ञापत्र की प्रति/स्रोत पत्र (आया0)।
3. उत्पादित उर्वरक की गुणवत्ता रिपोर्ट।
4. गुण नियंत्रण हेतु एफसीओ, 1985 के खण्ड-24 के अंतर्गत नोडल अधिकारी को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से अधिकृत किया जाना चाहिए मय पहचान पत्र की प्रति।
5. नोडल अधिकारी की सहमति शपथ पत्र पर मय पहचान पत्र की प्रति।
6. मीमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स/निदेशकों की सूची।
7. अनुज्ञापत्र हेतु फीस 2250/चालान की प्रति।
8. विक्रय व भण्डार हेतु चयनित स्थल का नक्शा।
9. विक्रय/भण्डार स्थल किराया का होने की स्थिति में किरायानामा की प्रति एवं स्वयं का होने पर स्वामित्व के दस्तावेजों की प्रति।

5

